

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'क' का अंक

प्रश्न सं. [क. 7625]

[30/3/2016]

परिशिष्ट 'क' अ

Q.No - 7625

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमानी फीस वसूलने, निर्धारित दुकानों से ड्रेस व कोर्स कप संबंधी शिकायतें :-

| क्र. | अशासकीय शिक्षण संस्था का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई | शिकायतकर्ता का नाम                                | शिकायत प्राप्ति का दिनांक | शिकायत का विवरण   | शिकायत की जांचकर्ता द्वारा दिया गया प्रतिवेदन विवरण               | अशासकीय शिक्षण संस्था पर की गई कार्यवाही                               |
|------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| 1    | रेयान इन्टरनशनल स्कूल बागमुगलिया भोपाल                        | श्री अरूणसिंह, ए एडवोकेट                          | 06.02.2015                | मनमानी फीस वसूलने, निर्धारित दुकानों से ड्रेस व कोर्स कप अवैध वसूली | प्राचार्य शा.उ.मा.वि. मिसरोद                                      | आवश्यक सुधार करने एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।     |
| 2    | विन्ध्याचल एकेडमी नयापुरा कोलार रोड भोपाल                     | अभिभावकगणों की सामूहिक शिकायत                     | 27.03.2015                | मनमानी फीस लेने संबंधी  | कलेक्टर, जिला भोपाल   | मान्यता समाप्ति हेतु सीबीएससीबोर्ड नईदिल्ली को कलेक्टर द्वारा लिखा गया |
| 3    | यूनाईटेड मिशन स्कूल मोती मस्जिद भोपाल                         | श्री मो.रकील, 28, रमूजी मार्केट भोपाल             | 20.08.2015                | कोर्स कप में अवैध वसूली   | प्राचार्य, उ.मा.वि. जहाँगीरिया                                    | शिकायत जांच में निराधार पाई गई।  |
| 4    | मदर टेरेसा कोलार रोड भोपाल                                    | भुक्त भोगी अभिभावक का नाम नहीं                    | 14.08.2014                | मनमानी फीस वसूलने, निर्धारित दुकानों से ड्रेस व कोर्स कप अवैध वसूली | प्राचार्य, उ.मा.वि. कोहेफिजा                                      | शिकायत जांच में निराधार पाई गई।  |
| 5    | रत्नाइट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रीनपार्क कालोनी                 | श्रीमती सबिहा राय पत्रकार श्री विनोद देवलकर       | 21.07.2014<br>01.09.2015  | निर्धारित दुकानों से ड्रेस व कोर्स कप अवैध वसूली                    | प्राचार्य समिति द्वारा  | आवश्यक सुधार करने एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।     |
| 6    | प्रीति कान्फेन्ट स्कूल जे.पी.नगर भोपाल                        | श्री मुकेश साहू, जे.पी.नगर                        | 22.09.2015                | स्कूल प्रबंधन-अभिभावकों के मध्य याद-विवाद की घटना                   | बी.आर.सी. पुराना शहर  | शाला को सुधार करने के निर्देश दिये गये।                                |
| 7    | होलिकास को-एड स्कूल लाम्बाखेडा भोपाल                          | म.प्र.बाल अधिकार संरक्षण आयोग म.प्र. भोपाल        | 27.08.2014                | संस्था द्वारा अमर व्यवहार   | धना प्रभारी निशातपुरा   | आपसी समझौता किया गया।  |
| 8    | आसनानी स्कूल कटीरा हिल्स बागमुगलिया भोपाल                     | श्री मनोज चौहान 27, हरवंश विहार डोशगाबाद रोड      | 01.09.2015                | मध्य सत्र में फीस में वृद्धि की जाना                                | जिला न्यायाधीश के आदेश 1277 दिनांक 25.04.2015 के अनुसार कार्यवाही | संस्था को फीस वृद्धि नहीं करने के निर्देश दिये गये।                    |
| 9    | स्काय लाईन पब्लिक स्कूल तंत आशाराम नगर बाग सेवनिया            | श्री शरद याद ए-47 भेल संगम कालोनी बागसेवनिया      | 19.11.2014                | निर्धारित दुकानों से ड्रेस व कोर्स कप अवैध वसूली                    | प्राचार्य उ.मा.वि. बागसेवनिया                                     | शाला को सुधार करने के निर्देश दिये गये।                                |
| 10   | कोपल हा.सेकेंडरी नगर कोटरासुल्तानाबाद                         | श्री रमेश शर्मा पूर्व पुलिस महानिदेशक ई.ओ.डब्ल्यू | 22.05.2015                | मनमानी फीस वसूलने, निर्धारित दुकानों से ड्रेस व कोर्स कप अवैध वसूली | प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कोटरासुल्तानाबाद                            | शाला को सुधार करने के निर्देश दिये गये                                 |

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-7625 के "ख" भाग की जानकारी के लिए परिशिष्ट-अ

जिला रायसेन

| क्रमांक | अशासकीय शिक्षण संस्था का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई | शिकायत प्राप्ति का दिनांक | शिकायत का विवरण              | शिकायत की जांचकर्ता द्वारा दिया गया प्रतिवेदन      | अशासकीय शिक्षण संस्था पर की गई कार्यवाही   |
|---------|---|---------------------------|------------------------------|--|--|
| 1       | संत फासिस कान्वेट उ.मा. वि.रायसेन                             | 2.9.2015                  | पुनः प्रवेश शुल्क लेने बाबत। | इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-8112 दिनांक 23.10.2015 | शुल्क वापिस करने के निर्देश जारी किये गये। |

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण  
भोपाल संभाग भोपाल

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर**  
विधान सभा अतासक्ति प्रश्न क्रमांक 7625 के (ख)भाग की जानकारी

परिशिष्ट (अ)

| क्रमांक | अशासकीय विद्यालय का नाम             | की गई कार्यवाही  | टीप  |
|---------|-------------------------------------|--|--|
| 1       | अशासकीय सेंट ऐनिस हा.से.स्कूल सीहोर | कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2745 दिनांक 24.07.14 द्वारा प्राचार्य से शिकायत का जबाब मांगा गया। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।  | प्राचार्य अशास.सेन्ट ऐनिस हा.से.स्कूल द्वारा स्पष्टीकरण के जबाब के उत्तर में शासन के सभी आदेशों का पालन किये जाने का उल्लेख किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। अतः कार्यवाही निररक है।  |
| 2       | अशासकीय प्रिंस पब्लिक स्कूल जावर    | कार्यालयीन पत्र क्र. / 2548 दिनांक 04.7.14 द्वारा प्राचार्य शा.उमावि.जावर से जांच कराई गई जांच उपरान्त कार्यालय पत्र क्र.2854 दिनांक 30.07.14 द्वारा शाला के सुधार हेतु पत्र लिखा गया। | प्र.अ.अशास.प्रिंस पब्लिक स्कूल जावर द्वारा स्पष्टीकरण के उत्तर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों को किसी दुकान विशेष से यूनिफार्म एवं पाठ्यपुस्तकें कय किये जाने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा, इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः कार्यवाही निररक है। |

  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जिला सीहोर